



कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर
फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

सेवा में,

पत्रांक 207/12-1

23/7/24

उप वनमहानिरीक्षक (के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संवर्द्धन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना के निर्माणहेतु 1.149 है० वनभूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं० FP/UK/WATER/26619/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/०९/६४//२०१८/एफ०सी०/१०१९ दिनांक 16.11.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी, जिसका निराकरण कर सूचना उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ के पत्रांक 05/12-1 दिनांक 02.07.2024 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र०सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The proposal is not received online. State Government may submit the proposal online.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है (संलग्नक-01)।
2	State Government may submit the CA scheme of Rs. 7,05,021/- as per which the amount is deposited in the CAMPA.	₹7,05,021.00/- का क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राकलन प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
3	Copy of the Khatauni submitted is not clear. State Government may submit the khatauni in original.	प्रस्तावक विभाग द्वारा खसरा खतौनी की स्पष्ट मूल प्रति प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है (संलग्नक-3)।
4	वनमंडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र में प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र के खसरा संख्या का उल्लेख नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित भूमिपूर्व से ही आरक्षित/संरक्षित वन घोषित है अथवा नहीं। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	वन मंडल द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र में प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र में खसरा संख्या का उल्लेख कर दिया गया है जिसे मूलप्रति में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर० के० मिश्र)

प्रमुख वनसंरक्षक, नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या २०७ / १२-१ उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १-निदेशक/वनसंरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर ।
- २-अधिशायी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर ।

(आर० के० मिश्र)
प्रमुख वनसंरक्षक, नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून



कार्यालय उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

Phone & Fax No.- 01389-222179

E-mail- djonandadevi@gmail.com

पत्रांक- 05 / 12-1, जोशीमठ, दिनांक, 02-07-2024.
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
विषय:- विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संवर्द्धन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.149 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं० FP/UK/WATER/26619/2017)
संदर्भ:- आपका पत्रांक 1281/FP/UK/WATER/26619/2017, दिनांक 24.11.2021 व अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर, चमोली का पत्रांक 1356/विविध-13/46, दिनांक 13.05.2024.
महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत मोटर मार्ग पर मिली सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The proposal is not received online. State Government may submit the proposal online.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है(संलग्नक-01)।
2	State Government may submit the CA scheme of Rs. 7,05,021/- as per which the amount is deposited in the CAMPA.	₹ 7,05,021.00/- का क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राकलन संलग्न है (संलग्नक-2)।
3	Copy of the Khatauni submitted is not clear. State Government may submit the khatauni in original.	खतौनी की स्पष्ट मूल प्रति संलग्न है (संलग्नक-3)।
4	वन मंडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र के खसरा संख्या का उल्लेख नहीं किया गया जिससे स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित भूमि पूर्व से ही आरक्षित/संरक्षित वन घोषित है अथवा नहीं। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	वन मंडल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र में खसरा संख्या का उल्लेख कर दिया गया है जिससे मूल प्रति में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है(संलग्नक-4)।

अतः अनुपालन आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक 02-07-2024
पत्रांक 12-1
क 6-7-24

भवदीय,

(बी०बी० मर्तोल्या)

उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

संख्या 05 / 12-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर, चमोली को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की आप अपने किसी सक्षम अधिकारी को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनुपालन आख्या की 03 प्रति प्राप्त कर नोडल अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

सा 03/12/2024
क 10-11-24

प्रमाणित/निर्देशित
6-7-24

(बी०बी० मर्तोल्या)
उप वन संरक्षक
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम गोपेश्वर (चमोली)

संलग्नक - 01

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क,
जोशीमठ।

पत्रांक 1755 / विविध - 13 / 65 दिनांक 19-06-2024

विषय- विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संबर्द्धन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.149 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके पत्रांक 3841/12-1, जोशीमठ दिनांक 30.05.2024 के क्रम में अनुपालन आख्या ऑनलाईन कर दिया गया है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(वी०के० जैन)
अधिशासी अभियन्ता।

प्र०सं० एवं दिनांक यथोपरोक्त।

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित योजनान्तर्गत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता।

प्राप्ति
दिनांक 01/07/2024
L.T
आ. का. करें

उ. व. सं.
नन्दादेवी

१. नाम - उच्छेदक, २. आनिनी - "नगर-खोली" संलग्न- ०३
 ३. शीर्षक - १ (३) ए - हल हिन की हल, संसदीय कार्य, तहसील - जोगीमठ, जिला - चमोली

०१	०२	०३	०४	०५	०६
३	हल हिन की हल	पूरे १३७३ फरवरी	८१ ९१ १३१ ६४३ ६५० ६५३	८.९५४ २.१५६ ९.३४६ १.२६९ ०.०४३ १८.७३८	
		योग	०६	४०.५०६	है

शीर्षक १० (४) - उच्च नरेशों से उद्धृष्ट नमूने -

०१	०२	०३	०४	०५	०६
८	मीठा	पूरे १३७३ फरवरी	३८ ३९ ४३ x x x x x x x x x ८० ९२ ९३ ९४ ९५ x x x x x x x x x ६४६ ६४८ ६५४	०.०९३ ४.५२१ २.८०८ x x x x x x x x x ४.१०० १.२१० १.००३ ४.५५० १.५०८ x x x x x x x x x ०.१३३ ०.३९३ ३.५४०	मु. आदेशा निमान विभागाधीन मध्यम चमोली के आदेश संख्या ३४४४/हल-१९ (२०१९-२०२०) जोपेक्षा दिनांक: ०५, फरवरी २०२० के अनुसार ग्राम उच्छेदक के हल खसत नं ९१ रकत २.१५६ है। भूमि मध्ये १.२०० है भूमि व खसत ९२ रकत १.२१० है मध्ये ०.७२० है, खसत नं ९३ रकत १.००३ है मध्ये ०.२०० है, खसत नं ९४ रकत ४.५५० है मध्ये ०.१८० है कुल २.३०० है भूमि जमाद-चमोली के अन्तर्गत मध्यम (विधिवत) प्रमाण योजना के निर्माण से प्रभावित है नीवली १.१४९ है वन भूमि के आपेक्षित क्षतिपूर्ति हकपोषण लिमिटेड को वन २.३०० के भूमि वन विभाग के पास में गगानतरण व्यस्ततरण होने से अमलब्यापक किया, हल उद्धृष्ट दिनांक १८/०२/२०२० सा. उ. नि. चमोली
		योग	७४	१२८.५५५	है

नोट:- नगर-खोली उपखंड से तैयार की गई है।

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
 राजस्व उप नि. अधिकारी
 धन, चमोली
 तहसील जोगीमठ (चमोली)

परियोजना का नाम- जनपद चमाली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत श्रावत सड़क (दीर्घकालीन) परियोजना का निर्माण हेतु
 2.30 हे० वृक्षारोपण स्थल का नाम- कुमक पश्चिमी घाट के अन्तर्गत उच्छायाड़ शिविर
 रोपित की जाने वाली पीछी की संख्या- 2530 पीछी।
 रोपित की जाने वाली प्रजाति- मिश्रित प्रजाति।

क्र०सं.	कार्य का विवरण	सं०	ल०	ची०	ऊ०	मात्रा	दर	इकाई	घनराशि
प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)									
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में सर्वेक्षण/सीमांकन कार्य					2.30	209.25	रु०	481.25
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान व नष्ट करना					1.84	2624.00	रु०	4839.60
3	गड्ढे खुदान कार्य मय सरक्षण एवं धिन्हीकरण (0.30x0.30x0.45 मी०)					2530	14.28	प्रतिगड्ढा	36128.40
4	पथरी की कुली दीवाल बनाना 15 सेमी० बुनियाद सहित	1	345.00	0.45	1.20	186.20	709.67	घ०मी०	132211.87
5	कण्टर नाली हेतु रेखांकन	258				258	1.43	रु०	368.94
6	कण्टर नाली खादना	258	3.00	0.45	0.30	258	137.56	रु०	35490.48
7	मृदा एवं जल सरक्षण कार्य					2.30	11984.00	रु०	27563.20
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1				2.30	1314.00	रु०	3022.80
9	पीछ की कीमत (प्रथम वर्ष)					2530	24.20	प्रति पीछ	61226.00
10	अन्य प्रकीर्ण व्यय (POC बीज बोना, पानी की व्यवस्था इत्यादि)					2.30	1200.50	रु०	2761.15
योग प्रथम धरण									304134.07

द्वितीय धरण									
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)					2530	2.45	प्रतिगड्ढा	6198.50
2	पीछ दुलान कार्य					2530	14.25	प्रति पीछ	36052.50
3	पीछ रोपण कार्य					2530	4.61	प्रति पीछ	11663.30
4	फरों में बीज/कटिंग लगाना(बीज एकत्रीकरण तथा कटिंग दुलान सहित)	258				258	10.42	प्रति सं०	2688.36
5	गड्ढों में रासायनिक खाद डालना दुलान सहित					2530	1.62	प्रति पीछ	4098.60
6	कण्टर फरों में खाद मिलाकर नाली को नुल से 20 सेमी ऊपर उठाकर भरान कर देना तथा जमाना	258				258	10.42	प्रति सं०	2688.36
7	पीछों का रख रखाव					2530	4.31	प्रति	10904.30
8	पीछों की प्रथम एवं द्वितीय निराई गुड़ाई व मलमिग कार्य					2530	7.10	प्रति सैकड़ा	17963.00
9	घोड़ीदारी माह अगस्त से मार्च तक 08 माह)	8				2.30	1028.40	रु०/प्रति माह	18922.56
10	अन्य प्रकीर्ण व्यय जैसे श्रमिकों तथा सामग्री हेतु छप्पर बनाना आदि कार्य					2.30	2040.00	प्रति रु०	4692.00
योग द्वितीय वर्ष									115871.48

तृतीय वर्ष									
1	तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत कटिंग अप हेतु पीछ की लागत					253	34.44	प्रति पीछ	8713.32
2	पीछ दुलान कार्य					253	14.25	प्रति पीछ	3605.25
3	पुन गड्ढा खादना एवं रोपण करना					253	20.60	प्रति पीछ	5211.80
4	शीतकालीन निराई गुड़ाई एवं मलमिग कार्य					2530	1.83	प्रति पीछ	4629.90
5	तृतीय वर्ष में घोड़ीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.30	1028.40	रु०/प्रति माह	28383.84
6	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					2.30	820.00	प्रति रु०	1886.00
योग तृतीय वर्ष									52438.11

योजना निदेशक
 जिला पंचायत चमाली
 चमाली, जिला चमाली

चतुर्थ वर्ष									
1	चतुर्थ वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.30	1028.40	प्रति ₹0/ प्रति माह	28383.84
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					2.30	820.00	प्रति ₹0	1886.00
3	पीपी की निराई गुहाई व मलमेल कार्य					2530	7.00	प्रति	17710.00
4	अन्य व्यय हीन आदि							प्रति	3000.00
योग चतुर्थ वर्ष									
पंचम वर्ष									
1	पंचम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.30	1028.40	प्रति ₹0/ प्रति माह	28383.84
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					2.30	820.00	प्रति ₹0	1886.00
योग पंचम वर्ष									
षष्ठम वर्ष									
1	षष्ठम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.30	1028.40	प्रति ₹0/ प्रति माह	28383.84
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					2.30	820.00	प्रति ₹0	1886.00
योग षष्ठम वर्ष									
सप्तम वर्ष									
1	सप्तम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.30	1028.40	प्रति ₹0/ प्रति माह	28383.84
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					2.30	820.00	प्रति ₹0	1886.00
योग सप्तम वर्ष									
अष्टम वर्ष									
1	अष्टम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.30	1028.40	प्रति ₹0/ प्रति माह	28383.84
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					2.30	820.00	प्रति ₹0	1886.00
योग अष्टम वर्ष									
नवम वर्ष									
1	नवम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.30	1028.40	प्रति ₹0/ प्रति माह	28383.84
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					2.30	820.00	प्रति ₹0	1886.00
योग नवम वर्ष									
दशम वर्ष									
1	दशम वर्ष में चौकीदारी कार्य पर व्यय (12 माह)	12				2.30	1028.40	प्रति ₹0/ प्रति माह	28383.84
2	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य					2.30	820.00	प्रति ₹0	1886.00
योग दशम वर्ष									
									total
									705021.30
									705021.00

प्रमुख धन संरक्षक अन्वेषक के पत्रांक क-942/3-5-2, दिनांक 21/11/2017 द्वारा
वर्ष 2019-20 में क्षतिपूर्त वृद्धारोपण की दर प्रति है 0 हेतु निर्धारित सीलिंग
अनुसार देय = 2.30 है 0 x 3,06,531.00 कर प्रति है 0
= 705021.30 को

निम्न किया रुपये 7,05,021.00 मात्र
के लिए
प्रमाणित करने वाले प्रमाण गोपेश्वर

प्रमाणित करने वाली
कंसलरनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर वन क्षेत्र
प्रमाणित करने वाले प्रमाण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्रक्रियाओं की अन्तर्गत जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ की श्रोन संकेतन (वीरकाशीन) विस्तृत योजना निर्माण हेतु 1.149 हे० वनभूमि का पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग की क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम-उच्छेजवाड पट्टा 0 टंगणी तहसील जोशीमठ की सीमांतगत विहित खसरासं०-123 के खसरा सं० 41 रकबा 2.156 हे०, भूमि मध्य 1.200 हे०, भूमि जो कि नॉन-जेड क्षणी-9(3) पर स्थित स्थानों के भास एवं बांस की कोटिंग्स आदि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं उक्त ग्राम के खसरा सं०-8 के खसरा सं० 42, रकबा-1.215 हे०, भूमि मध्य 0.720 हे०, खसरा सं०-93, रकबा-1.003 हे० भूमि मध्य 0.200 हे०, एवं खसरा सं०-94, रकबा-4.552 हे० भूमि मध्य 0.180 हे० भूमि कुल 1.100 हे०, भूमि जो कि नॉन-जेड क्षणी-10(4) अन्य कारणों से अकुविक भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है अर्थात् कुल 2.30 हे० भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 3444/छबीस-19 (2019-2020), गोपेश्वर दिनांक 15/12/2020 से हस्तान्तरित/आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में स्वीकृत कर दी गई है। उक्त भूमि को वन विभाग के नाम अमलदरासद कर दी गई है, तथा वन क्षेत्राधिकारी, गोपेश्वर द्वारा भूमि को अपने कब्जे में प्राप्त कर लिया गया है। अधिरूचना संख्या 869-एफ/638 दिनांक 17-10-1893 के अनुसार यह भूमि रक्षित वन घोषित है। अतः इसे पुनः रक्षित/आरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

प्रमाणित वनधिकारी,
केदारनाथ नन्दादेवी प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 91372252497

पत्रांक- 2333 / 12-1 , गोपेश्वर दिनांक 03-05-2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर कन्या क्षेत्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार 25, सुभाष रोड देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
- 5- मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, चमोली।
- 7- गार्ड बुक।

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।